

सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री मति /कु०.....
पुत्र/पुत्री/पत्नीगांव.....
डा०.....तह०..... जिला.....हि० प्र०
के द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये पूर्ण तथ्यों की जांच की गई तथा योजना के प्रावधानों के अनुरूप पात्र है। अतः प्राथी को शगुन योजना 2021 के अन्तर्गत सहायता राशि स्वीकृत करने की सिफारिश की जाती है। यह भी सत्यापित किया जाता है कि आवेदक को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अथवा विभाग की इस प्रकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत विवाह अनुदान नहीं दिया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना अधिकारी/
प्रभारी, नारी सेवा सदन, /अधीक्षक बालिका आश्रम
(मोहर सहित)